उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्य

बनाम

सूरजी देवी

(दीवानी अपील संख्या 576/2008)

22 जनवरी 2008

(एस.बी. सिन्हा ओर वी.एस. सिरपुरकर,जे.)

पंजाब सिविल सेवा नियमः

पारिवारिक पेन्शन के अनुदान की योजना -कार्य प्रभार वाला कर्मचारी जो अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आता है-उसकी विधवा को भविष्य निधि योजना का लाभ प्रदान किया गया-पारिवारिक पेन्शन के लिए उनका दावा-आदेशः नियोक्ता द्वारा सही ढंग से अस्वीकार कर दिया गया।

प्रत्यर्थी का पति अपीलार्थी की नौकरी में रहते हुए-अपीलार्थी का निगम कार्य प्रभार दिनांक 11.08.1985 को समाप्त हो गया। मृतक अंशदायी भविष्य निधी योजना का सदस्य था। प्रत्यर्थी ने पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए एक आवेदन दायर किया। दावा अस्वीकार किये जाने के बाद उन्होंने एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने इस दावे को

स्वीकार करते हुए प्रतिपादित किया कि हालाकि रिट याचिकाकर्ता को ईपीएफ योजना के तहत लाभ मिला था, वह राशि जो उसे परिवार पेंशन में मिलेगी, अधिक होगी।

निगम द्वारा दायर तत्काल अपीलों में अपीलार्थी के लिए तर्क दिया कि दावा हरियाणा राज्य पर लागू पंजाव सिविल सेवा नियमों के प्रावधानों के विपरीत था; और यह कि मृतक कर्मचारी जो अंशदाता भविष्य निधी का सदस्य रहा हो, परिवार पेंशन योजना तत्काल मामले में लागू नहीं थी।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

1.1 परिवाद के अनुदान के सम्बन्धित योजना पेंशन एक के कानून के तहत दी गयी थी। पारिवारिक पेंशन के अनुदान की योजना के पेरा 11 जैसा कि पंजाब सिविल सेवा नियम के परिशिष्ट 1 में निहीत है, योजना की प्रयोज्यता को कार्यप्रभार कर्मचारी के सम्बन्ध में अन्य बातो के साथ-साथ बाहर करता है। प्रत्यर्थी का पति एक कार्यप्रभारी कर्मचारी था। उसकी सेवाओं का कभी नियमित नहीं किया गया। प्रत्यर्थी का मृत पति अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य था। उच्च न्यायालय के आदेश से पूर्व उक्त स्थिति को स्वीकार दिया गया लेकिन प्रत्यर्थी ने केवल इसलिए पेंशन योजना का विकल्प चुना क्योंकि इस प्रकार वह खुद को उच्च राशि का हकदार मानती थी। [पेरा 12, 13, 14] [1048-सी,डी,ई,एफ,जीय]

1.2 इसके अलावा पेंशन योग्य और गैर पेंशन योग्य प्रतिष्ठान के मध्य अन्तर मौजूद है। मृतक गैर पेंशन योग्य प्रतिष्ठान का सदस्य होते हुए, पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य नहीं थी। इस बात की परवाह किये बिना कि कान्ता देवी का निर्णय सही था या नहीं, उसमें तथ्य अलग थे, और स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठाये है वह उसमें नहीं उठाये गये। अतः उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले पर कान्ता देवी को इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने में एक गंभीर त्रुटि की। तथापि, प्रत्यर्थी को दिया गया कोई भी लाभ वापस नहीं लिया जायेगा। [पेरा 14, 15] [1049-डी,ई,एफ,जीय 1050-ए]

मारूति उधोग लिमिटेड बनाम रामलाल और अन्य, (2005) 2 एससीसी 638; बिहार राज्य और अन्य बनाम अमरेंद्र कुमार मिश्रा, (2006) 9 स्केल 549; क्षेत्रीय प्रबंधक, एस.बी.आई. बनाम महात्मा मिश्रा, (2006) 11 स्केल 258; कर्नाटक राज्य बनाम अमीरबी और अन्य, (2006) 13 स्केल 319 और एम.पी. और अन्य राज्य बनाम संजय कुमार पाठक और अन्य (2007) 12 स्केल 72-पर आश्रय किया।

*कांतादेवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, डब्ल्यू पी. नम्बर 7506 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 1998 का निर्णय 16.12.1999-प्रभेद।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 576/2008

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के सी.डब्ल्यू.पी. नम्बर 1110/2003 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 18.09.2003 से

के साथ

सी.ए. संख्या 577 और 2008 का 587-588

अपीलार्थियों के लिए नीरज कुमार जैन, भरत सिंह, संजय सिंह, संदीप चतुर्वेदी, उमंग शंकर, उग्र शंकर प्रसाद, डी.पी. सिंह, संजय जैन, प्रियंका सिंह, रजत वोहरा, अरविन्द नय्यर और अपीलार्थियों के लिए कविता वाडिया।

प्रत्यर्थी के लिए जसबीर सिंह मलिक, एस.के.सभरवाल, कामाक्षी एस. मेहवाल, विकास चतरथ ओर एम.के.वर्मा (अनीस अहमद खान)।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एस.बी.सिन्हा. जे.

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इन अपीलो में शामिल संक्षिप्त प्रश्न, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.पी.संख्या 631, 1110 2003 का और आवेदन संख्या 71 में पारित निर्णयों और आदेशों दिनांक 18.09.2003 और 05.03.2004 क्रमशः, से उत्पन्न होता है, यह है कि क्या मृत कर्मचारी के

परिवार के सदस्य जिसे एक कार्य-प्रभारित कर्मचारी के पर नियुक्त किया गया था, आधार परिवार पेंशन का हकदार होगा ?

3. इन अपीलों के निपटारे के उद्देश्य से, जो सिविल अपील 2004 का एस.एल.पी.(सी) संख्या 4392 जिसका शीर्षक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और अन्य बनाम सुरजी देवी है।

4. अपीलार्थी संख्या 1 हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की धारा 5 के तहत गठित तथा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 12 के तहत निगमित, का उत्तराधिकारी था। प्रत्यर्थी सुरजी देवी स्वर्गीय श्री कृष्ण की विधवा है। श्री कृष्ण को कार्यप्रभारित कर्मचारी के आधार पर दिनांक 12.08.1974 को या उसके आस-पास नियुक्त किया गया था। निर्विवाद रूप से उन्होंने अपीलार्थी की सेवा उसी क्षमता में करना जारी रखा। सेवा में रहते हुए दिनांक 11.08.1985 को उसका निधन हो गया। प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के सेवाओं में अनुकम्पा आधार पर नियुक्त किया गया-अनुग्रह योजना के तहत।

माना जाता है कि मृतक एक योजना के तहत गठित अंशदायी भविष्य योजना का सदस्य था।

इसके बावजूद प्रत्यर्थी ने पारिवारिक पेंशन अनुदान के लिए एक आवेदन दायर किया ,जो पूरी तरह से एक अलग योजना से सम्बन्धित है।

5. मान लिजिए, स्वर्गीय श्री कृष्ण की सेवाए कभी नियमित नहीं की गई। नियमितिकरण की योजना सन् 1986 में लागू हुई।

जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या एक का पारिवारिक पेंशन योजना का दावा खारिज किया गया, उसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 18.09.2003 पर या सिविल रिट याचिका संख्या 7506/1998 अनवान कान्तादेवी बनाम हरियाणा राज्य व अन्य दिनांकित 16.12.1999 इस निर्देशन के साथ स्वीकृत किया किः

> "...यह स्वीकृत तथ्य है कि याचिका कर्ता ने ईपीएफ योजना के तहत पेंशन का लाभ प्राप्त किया था, लेकिन यह भी स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता अब जो पारिवारिक पेंशन की राशि प्राप्त करेगा वह ईपीएफ योजना के तहत प्राप्त की गई राशि से अधिक होगी।
>
> श्री मलिक तदनुसार शपथ करते हैं कि याचिकाकर्ता, जो राशि उसे पहले ही प्राप्त हो चुकी है, उसे वापस करेगी या अब प्राप्त होने वाली राशि से समायोजित करेगी।"

6. अपिलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री नीरज कुमार जैन अपील के समर्थन में प्रस्तुत करते हैं:

(i) पंजाब सिविल सेवा नियमों को ध्यान मे रखते हुए हरियाणा राज्य पर लागु खंड 2, विवादीत निर्णय पर्ण रूप से अरक्षणीय है।

(ii) प्रत्यर्थी का पति अंशदायी भवीष्य योजना का सदस्य होते हुए पारिवारीक पेंशन योजना उसके मामले पर लागु नही होती थी।

7. श्री जसबीरसिंह मलिक, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान वकील, ने दुसरी ओर आग्रह किया किः

(i) अपीलकर्ताओं ने कांता देवी (उपरोक्त) की यथार्थता पर प्रश्न नही उठाया है, अब वे पीछे मुड कर पारीवारिक पेंशन योजना लागु नही होने के तथ्य का तर्क नही दे सकते।

(ii) उच्च न्यायालय ने कांता देवी उपरोक्त मामले में परिवार पेंशन योजना के पेरा 4 की व्याख्या करते हुए अपिलार्थी इस प्रकार बाध्य है।

8. पंजाब राज्य ने पंजाब सिविल योजनाएं बनाई। उक्त नियम, संशोधनों के अधीन, हरियाणा राज्य म लागु हो गये। उक्त नियमों का खण्ड 2 अन्य बातों के साथ-साथ पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त सेवा प्रदान करता है। इसका नियम 3.12 निम्नानुसार प्रदत्त करता है :

> "3.12 सरकारी कर्मचारी की सेवा पेंशन के लिए तब तक योग्य नही है, जब तक वह निम्नलिखित 3 शर्तो के अधीन न हो :-

पहला- सेवा सरकार के अधीन होनी चाहिए।

दुसरा- रोजगार सारवान और स्थायी होनी चाहिए।

तीसरा- सेवा सरकार के अधीन होनी चाहिए।

9. पारिवारिक पेंशन नियम का नियम 3.17 प्रावधानित करता है कि 05 जनवरी 1961 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के मामले में, यदि वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को स्थायी पद पर धारित था, राज्य सरकार के तहत अपनी अस्थायी या कार्यवाहक सेवा के तहत उसी या किसी अन्य पद पर पुष्टिकरण द्वारा बिना किसी रूकावट के पालन किया गया, गैर पेंशन योग्य प्रतिष्ठान मे अस्थायी या कार्यवाहक सेवा की पेंशन अवधी को छोडकर, पुर्णरूप से अर्हत सेवा के रूप मे गिना जाएगा।

10. नियमों का नियम 3.17-ए (जी) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधानीत करता है कि किसी कर्मचारी द्वारा कार्य-प्रभारित के रूप मे प्रदान की गई संपूर्ण सेवा को प्रदान किए गए सेवानिवृत्त लाभों के लिए गिना जाएगाः

(i) ऐसी सेवा के बाद नियमित रोजगार मिलता है ;

(ii) सेवा के दो या दो से अधिक चरणों में कोई रूकावट नहीं है या रूकावटें क्षमा योग्य सीमा के भीतर आती है ; और

(iii) ऐसी सेवा पूर्णकालिक रोजगार है न कि अंशकालिक या दिन का हिस्सा।

[जोर दिया गया]

11. निर्विवाद रूप से, दो योजनाएं मौजूद है: एक अंशदायी भविष्य निधि के संबंध में और दूसरा पेंशन के संबंध में। पारिवारिक पेंशन अनुदान की योजना उक्त नियमों के परिशिष्ट 1 में निर्हित है। उक्त योजना के पैरा 4 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

4. यह योजना निम्नानुसार संचालित की जाती हैः

(i) 1 जुलाई 1954 को या उसके बाद सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु के मामले में पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य है, यदि मृत्यु के समय, सेवानिवृत्त अधिकारी मुआवजा, अमान्य, सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्ति पर या पेंशन प्राप्त कर रहा था। सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु के मामले मे पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य नही होगी यदि मृत्यु के समय सेवानिवृत्त कर्मचारी केवल ग्रेच्युटी प्राप्त कर रहा था। सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में सरकारी कर्मचारी को बिना किसी रूकावट के कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करनी चाहिए।

नोट 1 :- उपरोक्त पैरा-4 i) मे प्रयुक्त शब्द एक वर्ष की निरंतर सेवा मे पेंशन योग्य प्रतिष्ठान में स्थायी/अस्थायी सेवा शामिल है, लेकिन इसमें

असाधारण छुट्टियों की अवधि, लडके की सेवा और निलंबन की अवधि शामिल नही है, जब तक कि इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित नही किया जाता है या एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने से पहले, बशर्ते संबंधित मृत सरकारी कर्मचारी की सेवा या पद पर भर्ती से ठीक पहले उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई हो और उस प्राधिकारी द्वारासरकारी सेवा के लिए फिट घोषित किया गया हो।

(iii) पेंशन स्वीकार्य है:-

अ) विधवा/ विधुर के मामले मे मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, जो भी पहले हो ; और

ब) बेटे/ अविवाहित बेटी के मामले मे जब तक वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त नही कर लेता।

12. उक्त योजना का पैरा 11 योजना की प्रयोज्यता के साथ-साथ कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को बाहर करता है। हम देख सकते है कि कांता देवी (उपरोक्त) मे अपिलकार्ता का पति अस्थायी सेवा मे था। पैरा 4 i) और उसके साथ संलग्न नोट 1 की व्याख्या करते हुए, उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि कांता देवी के पति ने अस्थायी सेवा में एक वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है, इसलिए वह पारिवारिक पेंशन की हकदार थी।

13. हमने यहां पहले देखा है कि श्री कृष्ण अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य थे। हमने यह भी देखा है कि उच्च न्यायालय के समक्ष भी उक्त पद स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन उसने पेंशन योजना का विकल्प केवल इसलिए चुना क्योंकि इससे वह खुद को अधिक राशि का कहदार मानती थी।

14. पारिवारिक पेंशन अनुदान संबंधी योजना एक कानून के तहत बनाइ गई थी। कोई व्यक्ति वैधानिक निषेधों के अधीन इसका लाभ पाने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन योजना के संबंध मे पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड 2 में निहित प्रावधानों के मात्र अवलोकन से, यह स्पष्ट होगा कि प्रतिवादी किसी भी पारिवारिक पेंशन के अनुदान का हकदार नही था। प्रतिवादी का पति वर्कचार्ज कर्मचारी था। उनकी सेवाओं को कभी भी नियमित नही किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है कि उन्होंने11 साल तक काम किया। उनका निधन नियमितीकरण योजना का लाभ प्राप्त करने से पुर्व ही हो चुका था लेकिन केवल भावनाओं और सहानुभूति ही कानुन मे जो अनुमत है, उससे अलग दृष्टिकोण का एकल आधार नही हो सकती। [देखें मारूति उद्योग लिमिटेड बनाम रामलाल और अन्य (2005) 2 एस.सी.सी. 638, बिहार राज्य और अन्य बनाम अमरेन्द्र कुमार मिश्र 2006 (9) स्केल 549, क्षेत्रीय प्रबंधक एसबीआई बनाम महात्मा मिश्र 2006 (11) स्केल 258, कर्नाटक राज्य बनाम अमीरबी और अन्य 2006

(13) स्केल 319 और मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम संजय कुमार पाठक एवं अन्य 2007 (12) स्केल 72]

वह वैधानिक प्रावधान, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, मृत कर्मचारी के रूप मे परिवार के सदस्यों के पक्ष में परिवारिक पेंशन देने से रोकते है, यदि वह वर्क-चार्ज कर्मचारी था ना की स्थायी कर्मचारी या अस्थायी कर्मचारी। जिस अवधि के दौरान किसी कर्मचारी ने वर्क-चार्ज कर्मचारी के रूप मे काम किया, उस पर तभी विचार किया जा सकता है जब उसकी सेवाएं नियमित हो जाए और वह स्थायी हो जाए, अन्यथा नही।

इसके अलावा, पेंशन योग्य और गैर-पेंशन योग्य प्रतिष्ठान के बीच अंतर मौजूद है। श्री कृष्ण एक गैर-पेंशन योग्य प्रतिष्ठान के सदस्य होने के कारण, पारिवारिक पेंशन स्वीकार्य नहीं थी। यह ऐसा मामला नही है जहां किसी कर्मचारी को एक या अन्य योजनाओं को चुनने का विकल्प दिया गया हो। एक बार जब कोई व्यक्ति गैर-पेंशन योग्य योजना का विकल्प चुन लेता है, तो उसके पेंशन का हकदार होने या उसके परिवार के सदस्यों के पारिवारिक पेंशन का हकदार होने का सवाल ही नहीं उठता और न ही उठ सकता है। उच्च न्यायालय ने विशिष्ट विशेषताओं पर ध्यान दिए बिना केवल कांता देवी (उपरोक्त) का अनुसरण किया। चूंँकि यह आवश्यक नही है, हम इस प्रश्न पर नही गए हैं कि क्या कांता देवी (उपरोक्त) का निर्णय

सही ढंग से किया गया था। इस तथ्य के अलावा कि उसमें तथ्य अलग थे, जाहिर तौर पर जो सवाल उठाए गए थे, वे उसमें नही उठाए गए थे। अतः उच्च न्यायालय ने कांता देवी (उपरोक्त) को वर्तमान मामले पर लागू करने मे एक गंभीर त्रुटि की है।

15. श्री मलिक न तर्क दिया कि तारीखों की सूची मे यह गलत बताया गया है कि कांता देवी (उपरोक्त) के खिलाफ अपील इस न्यायालय के समक्ष लंबित है और इस प्रकार, यह एक गलत बयान है, स्वीकृत अनुमोदन रद् कर दीया जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है लेकिन इस प्रकृति के मामले मे इस न्यायालय को कानून बनाना आवश्यक है। इसलिए, हमारा इरादा स्वीकृत अनुमोदन रद् करने का नही है। हालांकि, हम निर्देश देते है कि प्रत्यर्थी को भुगतान किया गया कोई भी लाभ वसूल नही किया जाना चाहिए।

16. उपरोक्त कारणों से उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है। हालांकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध मे कोइ आदेश नही दिया जाएगा।

R.P. अपील स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोनल शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।